संख्या -4/2015/146/21-उर्दू-1-2015(312/2014)

प्रेषक,

शैलेश कृष्ण,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव
स्व0 फखरूद्दीन अली अहमद मेमो0 कमेटी
विभूति खण्ड,गोमती नगर,लखनऊ।

भाषा (उर्दू) अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 09 अप्रैल,2015

विषयः-वित्तीय वर्ष 2015-2016 के लिए फखरूद्दीन अली अहमद मेमो0 कमेटी के वेतन भत्तों/मानदेय आदि हेतु प्रथम किस्त की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय स्व0 फखरूद्दीन अली अहमद मेमो0 कमेटी लखनऊ को वेतन भत्तों/मानदेय हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आयोजनेत्तर पक्ष से प्राविधानित अनुदान के सापेक्ष रू0 20,000,00/-(रू0 बीस लाख मात्र) की धनराशि प्रथम किस्त के रूप में निम्नलिखित शर्तों एंव प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल मानेदय/वेतन/भत्तों आदि के अतिरिक्त किसी भी अन्य मदों/सेवाओं तथा कार्यक्रमों पर न किया जाये तथा अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र दिनांक 30 अगस्त,2015 तक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

2- स्वीकृत धनराशि कोषागार से एक मुश्त नहीं आहरित की जायेगी बल्कि व्यय की सीमा तक आवश्यकतानुसार कोषागार से आहरित की जायेगी और नियमानुसार ही सक्षम अधिकारी की अनुमति से व्यय की जायेगी तथा बिल अनु सचिव,(भाषा) भाषा विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

3- उपर्युक्त अनुदान पर वही नियम लागू होंगे जो वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16-ए में दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2014 दिनांक 30 मार्च, 2015 तथा स्थायी मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों तथा बजट मैनुअल का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

.....2

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि रू0 20,000,00/-(रू0 बीस लाख मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-39 के लेखा शीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-आयोजनेत्तर-05- भाषा विकास-102-आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संम्बद्र्वन-07-स्व0 फखरूददीन अली अहमद स्मारक समिति को अनुदान-31- सहायता अनुदान- सामान्य(वेतन) के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/ 2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च,2015 के प्रस्तर 2(9) द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

शैलेश कृष्ण
प्रमुख सचिव

संख्या-4/2015/146(1)/21-उर्दू-1-2015(312/2014) तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि फखरूद्दीन अली अहमद मेमो0 कमेटी लखनऊ के लेखों का सम्परीक्षण प्रतिवेदन शासन को यथा समय भेजने का कष्ट करें।
4- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रट लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-7
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- भाषा (उर्दू)अनुभाग-4
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बृजेश चन्द्र)
अनु सचिव(भाषा)

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in